

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर
जिला हनुमानगढ

रामकुमार

बनाम

सोमती

किस्म मुकदमा . 88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 387 सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल जज	नम्बर व तारीख
19.05.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.07.2022 को पेश हो	
12/7/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ...को पेश हो।	
31/8/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ...को पेश हो।	
18/11/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ...को पेश हो।	
16/4/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ...को पेश हो।	
4/4/23	पत्रावली प्राथमिक पत्र प्राथमिक जरिये कर्मील प्रस्तुत होने पर भाज पेजी में ली गई। प्राथमिक ने प्राथमिक प्रस्तुत हर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण में पंच पंचायती द्वारा राक्रीनामा हो गया है। इसमें वादीगण अपना वाद विज्ञा कराया करते हैं। पत्रावली भाज की तारीख में ली गई विज्ञा करमावे। इसमें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली तारीख में जैरका है। न्याय हित में, उल्कीय प्राथमिक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान में राक्रीना होने के कारण प्रकरण विनिश्चय किया जाता है। पत्रावली नम्बर के क्रम लेकर डाखिल उपलब्ध हो	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)